

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय,
जिला हनुमानगढ़।

विषय :- मु.नं.55 कि.नं. 21 तक 25 चक 07 बीएलडब्ल्यू नजदीक जीआर ग्लोबल स्कूल गंगानगर रोड़ तह. पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ पर निर्माण ईकाई (बायो डीजल)स्थापित करने बाबत एनओसी देने के सम्बन्ध में रिपोर्ट भिजवाने बाबत।
प्रसंग :- श्रीमान् अति. जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ पत्र क्रमांक एफ21(10)()एनओसी /न्याय/2020/8231-40 दिनांक 20.05.2020 के क्रम में।

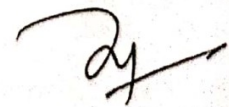
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवम् प्रासांगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि Director juggler HAWK Ind Pvt. Ltd. श्री गंगानगर द्वारा मु.नं. 55, कि.नं. 21 ता 25 चक 07 बीएलडब्ल्यू, नजदीक जी.आर. ग्लोबल स्कूल गंगानगर रोड़, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ में निर्माण ईकाई (बायो डीजल) स्थापित करने बाबत अनुज्ञा-पत्र जारी किये जाने हेतु प्रासांगिक पत्र के साथ आवेदन प्राप्त हुआ था।

उक्त के संबंध में ग्राम पंचायत खोथावाली द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 397 दिनांक 24.10.2019 द्वारा अवगत करवाया है कि प्रार्थिया श्रीमती कान्ता देवी पत्नी श्री किशनकुमार व प्रदीप मितल जाति अग्रवाल श्री गंगानगर द्वारा ग्राम पंचायत खोथावाली के चक 07 बीएलडब्ल्यू में प.नं. 40/246 के कि.नं. 22/3 में 0.155, 23/3 में 0.156, 24/3 में 0.155, 25/3 में 0.177 कुल रकबा 0.643 है 0 प.नं. 0.046, 25/2 में 0.046 कुल 0.184 है 0 व प.नं. 40/246 के कि.नं. 21/1 में 0.051, 22/1 में 0.052, 23/1 में 0.051, 24/1 में 0.052, 25/1 में 0.030 है 0 कुल 0.236 है 0 कुल 1.063 है 0 यानि 10630 वर्गमीटर औद्योगिक भूमि पर juggler HAWK Ind Pvt. Ltd. के नाम से बायोडीजल प्लान्ट लगाने हेतु अनुज्ञा-पत्र जारी करने और सुरक्षा व आपत्ति के संबंध में पंचायत समिति द्वारा समाचार पत्र में प्रकाशन भी दिनांक 23.05.2020 को करवाया गया जिस संबंध में ग्राम पंचायत/पंचायत समिति को कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। उक्त के सम्बन्ध में चक 07 बीएलडब्ल्यू में बायो डीजल प्लान्ट लगाने हेतु नवीन नियमों के अनुसार पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से व सड़क की किस्म एनएच/एसएन/एमडीआर/ओडीआर के नियमों व खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता विभाग जयपुर द्वारा जारी परिपत्रों व पर्यावरण मंत्रालय के पत्र दिनांक 15.07.2004 के नियमों के परिपेक्ष्य में सुरक्षा मापदण्डों के अनुसार ग्राम पंचायत खोथावाली को कोई आपत्ति नहीं है तथा ग्राम पंचायत खोथावाली द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर पंचायत समिति पीलीबंगा को कोई आपत्ति/एतराज नहीं है।

संलग्न :-

1. ग्राम पंचायत खोथावाली का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
2. समाचार पत्र में प्रकाशन की प्रति।



(भारत भूषण शर्मा)
विकास अधिकारी
पंचायत समिति पीलीबंगा

गंगानगर ग्राम पंचायत खोथावाली
पंचायत समिति पीलीबंगा

क्रमांक 397

दिनांक 24/10/19

अनापति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थिया श्रीमती कान्ता देवी पत्नी श्री किशनकुमार व प्रदीप मितल जाति अग्रवाल श्री गंगानगर के है, प्रार्थिया चक 7 बी एल डब्लयु मे पत्थर न0 40/246 के किला न0 22/3 में 0.155, 23/3 में 0.156, 24/3 में 0.155, 25/3 में 0.177 कुल रकबा 0.643 है0, पत्थर न0 40/246 के किला न0 22/2 में 0.046, 23/2 में 0.046, 24/2 में 0.046, 25/2 में 0.046 कुल 0.184 है0 व पत्थर न0 40/246 के किला न0 21/1 में 0.051, 22/1 में 0.052, 23/1 में 0.051, 24/1 में 0.052, 25/1 में 0.030 है0 कुल 0.236 है कुल 1.063 है0 यानि 10630 वर्गमीटर औधोगिक भुमी पर जगलर हॉक इन्ड्रस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के नाम से बायोडिजल बनाने का प्लान्ट लगाना चाहती है, प्रार्थियों द्वारा राज्य सरकार व विभाग द्वारा नियमानुसार कार्य किये जाने कि दशा में ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

र/जे/19

सरपंच

ग्राम पंचायत खोथावाली
पंचायत समिति पीलीबंगा
सरपंच

ग्राम पंचायत खोथावाली